

उपायुक्त का न्यायालय, गौड्डा

आर0एम0ए0 नं0 2/2010-11

सोनी यादव

बनाम्

अंचल अधिकारी, गौड्डा एवं अन्य

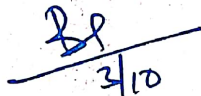
आदेश

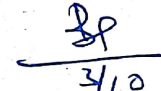
दिनांक-3.10.2017

पुकार पर उभय पक्ष अनुपस्थित। अभिलेख का अवलोकन किया गया। अवलोकनोपरान्त पाते हैं कि अपीलकर्ता दिनांक-18.10.2016 से लगातार अनुपस्थित चले आ रहे हैं। इससे स्पष्ट जाहिर होता है कि उभय पक्ष को इस वाद के प्रति कोई अभिरुची नहीं है। सिर्फ न्यायालय का बहुमूल्य ससमय बर्बाद होता है।

अतः विचारोपरान्त अभिलेख की कार्यवाही समाप्त की जाती है।

लिखाया एवं शुद्ध किया।


उपायुक्त,
गौड्डा।


उपायुक्त,
गौड्डा।